

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935

No. 3]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSA 13, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

सं. 01/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 3(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के साथ पाठित धारा 9क की उप-धारा (1) तथा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाठित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 तथा 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 121/2009- सीमा-शुल्क, तारीख 30 अक्टूबर, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 792(अ) तारीख 30 अक्टूबर, 2009 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (7) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “जेएससी ग्रेडनो एजाट” प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) क्रम संख्या 2 के सामने,—

(i) स्तंभ (7) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “जेएससी ग्रेडनो एजाट” प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ii) स्तंभ (8) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “जेएससी ग्रेडनो एजाट” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 354/70/2009-टीआरयू (भाग-1)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 121/2009-सीमा-शुल्क, तारीख 30 अक्टूबर, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 792(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2014

No. 01/2014 –Customs (ADD)

G.S.R. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 121/2009-Customs, dated the 30th October, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 792(E), dated the 30th October, 2009, namely :—

In the said notification, in the Table,—

- (a) against serial number 1, for the entry in column (7), the entry “JSC Grodno Azot” shall be substituted;
- (b) against serial number 2,
 - (i) for the entry in column (7), the entry “JSC Grodno Azot” shall be substituted;
 - (ii) for the entry in column (8), the entry “JSC Grodno Azot” shall be substituted.

[F. No.354/70/2009-TRU (Pt.I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note:—The principal notification No. 121/2009-Customs, dated the 30th October, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.792(E), dated the 30th October, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

सं- 02/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 4(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन गणराज्य में मूलतः उद्भूत या वहां से निर्यातित “कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प” आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/22/2013-डीजीएडी, तारीख 14 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में तारीख 14 नवम्बर, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 55/2009-सीमा शुल्क, तारीख 26 मई, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 360 (अ) तारीख 26 मई, 2009 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ने की सिफारिश की थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

की अधिसूचना सं. 55/2009-सीमा शुल्क, तारीख 26 मई, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 360(अ) तारीख 26 मई, 2009 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2. उपर्युक्त निहित के बावजूद, उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 1 से 28 में अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क, 20 नवम्बर, 2014 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी।”

[फा. सं. 354/43/2008-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना सं. 55/2009-सीमा-शुल्क, तारीख 26 मई, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 360(अ) तारीख 26 मई, 2009 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2014

No. 02/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 4 (E).—Whereas, the designated authority vide notification F. No. 15/22/2013-DGAD, dated the 14th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th November, 2013, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Compact Fluorescent Lamps originating in or exported from China PR, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2009-Customs, dated 26th May, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 360(E), dated the 26th May, 2009, and has recommended for extension of anti-dumping duty, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2009-Customs, dated the 26th May, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 360(E), dated the 26th May, 2009, namely :—

In the said notification, after *Explanation*, the following shall be inserted, namely :—

“2. Notwithstanding anything contained hereinabove, the anti-dumping duty imposed against serial numbers 1 to 28 of the TABLE above shall remain in force up to and inclusive of the 20th day of November, 2014.”.

[F. No. 354/43/2008-TRU(Pt.-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 55/2009-Customs, dated the 26th May, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 360(E), dated the 26th May, 2009.